कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर

प्रेस- नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक 26.10.2026

थाना कल्यानपुर पुलिस द्वारा पटाखों के अवैध भंडारण के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए बिना लाइसेंस के अधिक मात्रा में भंडारित करीब 04 लाख रुपये मूल्य के कुल 03 कुन्तल 50 किलोग्राम विभिन्न ब्रांड के पटाखे बरामद कर 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:- पुलिस अधीक्षक फतेहपुर श्री अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में अपराध रोकथाम एवं अवैध विस्फोटक पदार्थों के भंडारण के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी बिन्दकी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कल्यानपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 26.10.2026 को मुखबिर की सूचना पर ग्राम गुनीर में अभियुक्त शुभम चौहान पुत्र प्रवीण सिंह निवासी ग्राम गुनीर थाना कल्यानपुर जनपद फतेहपुर उम्र करीब 30 वर्ष के घर के पास से बोरी एवं गत्तों में रखे करीब 03 कुन्तल 50 किलोग्राम विभिन्न ब्राण्ड के अवैध पटाखे बरामद किए गए,जिनकी अनुमानित कीमत करीब 04 लाख रुपये है। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया कि बिना लाइसेंस के आगामी दीपावली पर्व पर बिक्री करने के उद्देश्य से बिना लाइसेंस पटाखों का भंडारण किया था। गिरफ्तारी एवं उपरोक्त बरामदगी के संबंध में थाना कल्यानपुर पर मु0अ0सं0 239/26 धारा 288 बीएनएस व धारा 5/9 ख विस्फोटक पदार्थ अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही नियमानुसार की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

शुभम चौहान पुत्र प्रवीण सिंह निवासी ग्राम गुनीर थाना कल्यानपुर जनपद फतेहपुर, उम्र करीब 30 वर्ष

बरामदगी का विवरण -

1. 03 कुन्तल 50 किलोग्राम विभिन्न ब्राण्ड के अवैध पटाखे

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1.थानाध्यक्ष श्री तुषार श्रीवास्तव थाना कल्यानपुर जनपद फतेहपुर।
2.उ0नि0 विवेक कुमार, 3.उ0नि0 अजीत सिंह ,
3.हे0का0 मुकुल पाल, 4.का0 नीलेश कुर्मी, 5.म0का0 बन्दना ठाकुर

फतेहपुर पुलिस की जागरूकता अपील-

आगामी दीपावली पर्व के दृष्टिगत सभी पटाखा विक्रेताओं एवं आमजन से अपील है कि पटाखों का भंडारण निर्धारित लाइसेंस सीमा के अंतर्गत ही करें तथा सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करें। निर्धारित सीमा से अधिक पटाखों का भंडारण आग लगने अथवा विस्फोट जैसी गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है, जिससे जन-धन की हानि होने की आशंका रहती है।

सोशल मीडिया सेल
जनपद फतेहपुर